संशोधन आदेश

संख्या- 187 / 2024 /1149/ चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2024

विषय:- रामोत्सव-2024 के अन्तर्गत संत कबीर अकादमी द्वारा दिनांक 14 जनवरी से 24 मार्च**, 2024** तक आयोजित कहनी पाठ**,** कवि सम्मेलन आदि कार्यक्रम सांस्कृतिक संकुल मंच/ श्री गुरूकुल महाविद्यालय साहित्य संस्कृति मंच पर अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 20 मार्च**, 2024** में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक शासनादेश संख्या-159/2024/1038/चार-2024-1789431, दिनांक 20 मार्च, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-159/2024/1038/चार-2024-1789431, दिनांक 20 मार्च, 2024 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर- (1) में 'स्वीकृत धनराशि आहरित कर संत कबीर अकादमी को उपलब्ध करायी जायेगी' के स्थान पर 'स्वीकृत धनराशि आहरित कर उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी' पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश संख्या-159/2024/1038/चार-2024-1789431, दिनांक 20 मार्च, 2024 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 187 /2024 /1149(1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ
5- निदेशक, संत कबीर अकादमी, मगहर, संत कबीर नगर।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in